# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

**पीठासीन अधिकारी** : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
**राजस्व अपील संख्या** : **02/2016**
**GCMS NO.** : **2016/00535**

| **अपीलान्ट** | **बनाम** | **रेस्पोडेन्टस्** |
|---|---|---|
| 1. कामनाथ पुत्र श्री गुलाबनाथ जाति–कालबेलिया निवासी–रास, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। | | 1. सरपंच ग्राम पंचायत रास तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।<br>2. सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ जाति–कालबेलिया, निवास– रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.। |

**अपील विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1691 सरहद मौजा–रास प्रथम, पटवार हल्का–रास प्रथम तहसील जैतारण दिनांक 05.04.1980 में पारित म्यूटेशन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**तारीख रजू:.21/03/2016**

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अपीलान्ट।

**–:: निर्णयः–** **दिनॉकः 22/12/2020**

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा–रास प्रथम, पटवार हल्का–रास प्रथम तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. में वाके आराजी खसरा नंबर 315/2 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोर्डेट संख्या 02 की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अपने पिता के समय से ही जानकारी में है। उक्त आराजी गुलाबनाथ वल्द जयरामनाथ जी की थी। जिनके फौत होने पर अपीलान्ट एवं रेस्पोर्डेट ही उनके वारिसान है। अपील में वर्णित वंश वृक्षावली अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट गुलाबनाथ जी के विधिक वारिसान है एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत उक्त आराजी में अपीलांट का हक हिस्सा व अधिकार निहित है। गुलाबनाथ पुत्र जेरामनाथ जी की मृत्यु होने पर अपील में वर्णित कृषि भूमि का म्यूटेशन गुलाबनाथ ने मात्र एक लड़का सोहननाथ के नाम ही भरा दिया गया जबकि गुलाबनाथ के वारिसानों में अपीलान्ट आज भी जिन्दा है। एवं जायन्दा पुत्र है। लेकिन म्युटेशन संख्या 1691 दिनांक 05.04.1980 को रेस्पोर्डेट ने तत्कालीन सरपंच व पटवारी से मिलीभगत कर अपने अकेले के नाम ही दर्ज करवा दिया था। एवं अपने नाम मात्र एक सन्तान लड़का होने से स्वीकृत करवा दिया जो गैरकानूनी है तथा विधि विरूद्ध है, क्योंकि गुलाबनाथ के फौत होने के बाद उनके फौतेदगी उतराधिकारियों के रूप में अपीलांट का नाम दर्ज होना आवश्यक एवं जरूरी है। तब रेस्पोर्डेट संख्या 02 ने उक्त सम्पतियां हड़पने की नियत से बाले बाले अपने अकेले के नाम करवा दिया तथा फौतेदगी म्युटेशन में अपीलांट का नाम बतौर विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज नहीं करवाया तथा म्युटेशन संख्या 1691 अपने नाम करवा दिया साथ ही पटवारी हल्का द्वारा भी सही व वास्तविक विधिक वारिसानों की जांच किये बिना तथ्यों को छुपाते हुए एवं कानूनी एवं वाक्याती भूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:37:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

रखते हुये बिना वारिसानों की जांच किये उक्त म्यूटेशन पारित कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध एवं अपीलान्ट के विधिक एवं साम्पैतिक हक व अधिकारों के विरुद्ध है। जिसे खारिज किया जावें। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.03.2016 को म्युटेशन की नकल प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने तथा म्युटेशन संख्या 1691 के उनके पिता के वारिसानों में उनका नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी होने से यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है एवं अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी और उस पर मनन किया तथा पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। ग्राम रास-प्रथम, तहसील- जैतारण की जमाबंदी सम्वत् 2036-2039 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 315/2 रकबा 03-18 बीघ में अपीलार्थी के पिता गुलाबनाथ बतौर खातेदार दर्ज है। ग्राम रास-प्रथम के नामान्तरण संख्या 1691 दिनाँक 05.04.1980 से स्पष्ट है कि गुलाब नाथ के फौत होनें तथा उसके एक मात्र लड़का सोहननाथ होना अंकित करते हुए सोहन नाथ के नामा नामान्तरण स्वीकृत किया गया, जो वर्तमान जमाबंदी में भी बतौर खातेदार दर्ज है। अपीलार्थी के शपथ-पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जैतारण द्वारा ग्राम-रास का जारी परिवार राशनकार्ड संख्या 00583, आधार कार्ड संख्या 318690338023 एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थी गुलाबनाथ निवासी राईकों की ढाणी, ग्राम- रास-प्रथम की संतान है। साथ ही अपीलार्थी का जन्म वर्ष 1965 है तथा अपीलार्थी बी.पी.एल. परिवार का सदस्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के पिता की आराजी है तथा पिता की मृत्यु के समय अपीलार्थी उसकी जीवित संतान था, जिससे हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार अपीलार्थी भी मृतक गुलाबनाथ का प्रथम वर्ग का वारिसान था तथा इसका भी सोहननाथ के समान ही अपनें पिता की आराजी में अधिकार निहित था, जो वर्तमान में भी है, तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को छोड़ कर केवल इसके भाई सोहन नाथ को गुलाब नाथ का एक मात्र विधिक वारिसान मानकर केवल सोहन नाथ के नाम नामान्तरण स्वीकृत करना विधि-विरुद्ध है। हमारा यह भी विनम्र अभिमत है कि किसी भी विधि-विरुद्ध कार्य के संबंध में समय-सीमा का कठोरता पूर्वक अनुशीलन विधिक प्रक्रिया एवं न्याय का उद्देश ही समाप्त कर देता है, साथ ही प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनें वाला काश्तकार है, अतः हस्तगत प्रकरण मे विलंबकाल को माफ करते हुए प्रार्थी को अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, रास द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 1691 दिनांक 05.04.1980 को अपास्त करते हुए हुए तहसील[illegible]जैतारण को मृतक खातेदार गुलाबनाथ के विधिक-वारिसान अपीलांट [illegible] एवं रेस्पोंडेंट सोहननाथ दोनों के नाम नामान्तरण स्वीकृत किए जाने [illegible] विधि संगत एवं उचित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:57:49 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना-पत्र धारा-5, परिसीमा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अधिनियम-1963 भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है। ग्राम- रास प्रथम, तहसील जैतारण के खसरा संख्या 315/02 रकबा 03-18 बीघा के खातेदार गुलाबनाथ के फौत होनें पर ग्राम पंचायत रास द्वारा मृतक के वारिसान की सम्यक् जाँच किए बिना केवल एक संतान मानते हुए रेस्पोडेंट संख्या-2 सोहननाथ के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1691 दिनाँक 05.04.1980 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होनें से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त खसरा की आराजी में से बतौर खातेदार दर्ज सोहननाथ का नाम विलोपित करते हुए मृतक गुलाबनाथ के विधिक वारिसान क्रमशः कामनाथ पुत्र गुलाबनाथ एवं सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ के नाम नामान्तरण स्वीकृत करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/12/2020 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:57:49 IST
Reason: SelfAttested